Witness–NO–..**06**.......For–........**अभियोजन साक्ष्य**.....Deposition taken this ....

16.04.2026......day of........**गुरुवार**....Witness apparent age– ....**55 वर्ष** ....

States on affirmation/My name is– .....**मित्र भानू**......................................

S/of– .... **फरहारु भानू**.....Occupation– .....**कृषि**.......................................

Address–..**निवासी–साल्हे ओना बिलाईगढ, थाना–सरिया, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ (छ०ग०).**

साक्ष्य प्रारंभ समयः–12.30 बजे से ।

मुख्य परीक्षण द्वारा ए०डी०पी०ओ० वास्ते राज्य

01. मैं न्यायालय में अनुपस्थित अभियुक्तगण योहान उर्फ किशन साहू, मनोहर साहू, सूर्यकांति साहू, मीरा साहू एवं वेदप्रकाश साहू को जानता पहचानता हूँ, अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू का विवाह मेरी भतीजी ममता साहू से हुआ था इसलिए जानता हूँ तथा अन्य अभियुक्तगण योहान उर्फ किशन साहू के माता–पिता, बहन एवं बहनोई है, इसलिए जानता पहचानता हूँ । प्रार्थिया ममता साहू को जानता हूँ, वह मेरी भतीजी है ।

02. वर्ष 2022 में ममता साहू का विवाह किशन साहू से हुआ था । विवाह उपरांत मेरी भतीजी ममता साहू अपने पति के साथ उसके घर चांटीपाली चली गयी थी । अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू मेरी भतीजी ममता साहू से लडाई –झगडा करने लगा था अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू मेरी भतीजी से दहेज के नाम पर लडाई–झगड करता था । विवाह के समय हम लोग दहेज में वेगन आर गाड़ी अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू को दिये थे । घटना के बाद ममता साहू के पिता किशोर साहू के द्वारा हमारे गांव बिलाईगढ में सामाजिक

बैठक बुलाये थे जिसमें ममता साहू का परिवार एवं अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू का परिवार आये थे, मैं भी उक्त बैठक में उपस्थित था वहां पर सामाज के बड़े बुजुर्ग अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू को समझाईस दिये थे परंतु अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू नहीं माना और बोला कि मुझे बड़ी गाड़ी स्वीप्ट कार चाहिए या 6,00000/– रुपया नगद चाहिए । समझाईस के बाद ममता साहू अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू के साथ वापस ससुराल चली गयी थी ।

03 आठ–दस दिन में ही फिर से अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू एवं ममता साहू के दहेज के बात को लेकर लडाई–झगड़ा करने लगा था तथा ममता साहू को जान से मारने की धमकी दिया था और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया था । उसके बाद हम लोग ममता के पिता किशोर के साहू के साथ ममता के ससुराल गये थे, मैं भी गया था वहां हम लोग ममता साहू को अपने साथ ले आये थे । उसके बाद साहू समाज के ग्राम बोईरडीह में बैठक रखे थे, वहां मैं भी उपस्थित था तथा किशोर साहू एवं अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू का परिवार भी उपस्थित था । वहां बैठक में किशन साहू एवं उसके परिवार को समझाईस दी गयी थी परंतु किशन साहू बोला कि मैं शराब पीता हूँ और उसी बात को लेकर विवाद होने पर सभी अपने अपने घर चले गये थे, ममता साहू अपने पिता के साथ बिलाईगढ में रुक गयी थी । कुछ दिनों बाद थाना बरमकेला में ममता साहू ने अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू एवं उसके परिवार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी थी, शिकायत दर्ज कराते समय किशोर साहू एवं मैं भी थाने में उपस्थित था । पुलिस वालों ने मुझसे पुछताछ की थी और मैंने पुलिस वालों को बयान दिया था ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी विचारोपरांत न्यायालय द्वारा अनुमति दी गयी ।

04. यह कहना सही है कि ममता साहू के ससुराल वाले उपहार में दिये गये समान को हल्की सामग्री बोलकर ममता साहू को परेशान करते थे । यह कहना सही है कि ममता साहू के ससुराल वाले उसे प्रताडित करते हुए मारपीट किये एवं जान से मारने की धमकी दिये थे तथा उसे घर से निकाल दिये थे ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एल के पटेल अधिवक्ता वास्ते आरोपी

05. मैं ममता साहू के विवाह की तिथि, माह नहीं बता सकता हूँ । यह कहना सही है कि अभियुक्त योहान उर्फ किशन साहू एवं ममता साहू के बीच विवाह का रिश्ता मेरे समक्ष तय नहीं हुआ था । यह कहना सही है कि विवाह का रिश्ता तय होने पर उभयपक्षों के बीच सामान लेन–देन की कोई बात नहीं हुई थी । यह कहना सही है कि उभयपक्ष विवाह के समय सामानों का आदान–प्रदान एक दूसरे को अपनी इच्छा एवं सामार्थ के अनुसार दिये थे। ममता साहू के ससुराल ग्राम कंचनपुर है । साक्षी से यह पुछे जाने पर कि प्रार्थिया ममता साहू विवाह पश्चात ग्राम चांटीपाली गयी थी, इस पर साक्षी का कहना है कि प्रार्थिया ममता साहू ग्राम चांटीपाली गयी थी या अन्य कोई दूसरा गांव गयी होगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

06. यह कहना सही है कि दहेज के नाम पर मेरे सामने कभी लडाई–झगडा अभियुक्त के द्वारा नहीं किया गया है, साक्षी का स्वतः कहता है कि बैठक में दहेज की मांग अभियुक्त के द्वारा किया गया था । उक्त बैठक कब हुई थी, आज मुझे याद नहीं है लेकिन

बैठक ग्राम बिलाईगढ़ में हुई थी । उक्त बैठक सामाजिक बैठक थी, साक्षी पुनः कहता है कि सामाजिक बैठक नहीं थी, गांव के स्तर पर बैठक की गयी थी जिसमें गांव के सरपंच, पंच उपस्थित थे । गांव के सरपंच का नाम शिवप्रसाद चौहान है तथा पंचों का नाम नहीं जानता हूँ । यह कहना गलत है कि उक्त बैठक में अभियुक्त किशन साहू उपस्थित नहीं था, साक्षी स्वतः कहता है कि किशन एवं उसक परिवार के लोग उपस्थित थे ।उक्त बैठक में कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी । यह कहना गलत है कि कोई बैठक नहीं होने के कारण बैठक में कोई लिखा पढी नहीं की गयी थी ।

07. ममता साहू को रायगढ़ कब भेजा गया था, मैं तिथि, माह नहीं बता सकता हूँ लेकिन बैठक होने के दूसरे दिन ममता साहू को रायगढ़ भेज दिये थे । ममता साहू को अभियुक्त किशन साहू अपने साथ लेकर गया था । यह कहना सही है कि ममता साहू के रायगढ चले जाने के बाद रायगढ में अभियुक्त किशन साहू दहेज की बात को लेकर लडाई झगडा कर जान से मारने की धमकी दिया था, का कथन मैंने किया है, उक्त घटना के समय मैं उपस्थित नहीं था । यह कहना सही है कि उक्त घटना कब हुई थी, मैं दिन, तिथि नहीं बता सकता हूँ । मैं रायगढ़ ममता साहू के ससुराल कब गया था, आज नहीं बता सकता हूँ । रायगढ में ममता साहू से मेरी मुलाकात अभियुक्त किशन साहू के घर के सामने हुई थी , किशन साहू ने ममता साहू को घर से निकाल दिया था । रायगढ मैं, किशोर चंद, मिनकेतन एवं ईश्वर साहू गये थे ।

08. मैं ग्राम बोईरडीह में बैठक होने की दिन, तिथि नहीं बता सकता हूँ । ग्राम बोईरडी में हुई सामाजिक बैठक में समाज के पदाधिकारियों का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ ।

यह कहना गलत है कि उक्त सामाजिक बैठक में क्या निर्णय किया गया था, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, साक्षी स्वतः कहता है कि अभियुक्त किशन साहू मैं शराब पीता हूँ और मारपीट करता हूँ, ऐसा बोला था जिस कारण उक्त बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उक्त सामाजिक बैठक के दिन ममता साहू अपने मायका ग्राम बिलाईगढ़ में थी, उक्त सामाजिक बैठक अभियुक्त किशन साहू के द्वारा आयोजित किया गया था । यह कहना गलत है कि उक्त सामाजिक बैठक में दोनों पक्षों को समझाईस देते हुए तीन माह का समय दिया गया था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त सामाजिक बैठक में समाज के पदाधिकारियों के द्वारा तीन माह पश्चात निर्णय किये जाने हेतु बोला गया था ।

09. ममता साहू के द्वारा उक्त सामाजिक बैठक होने के लगभग 15 दिन के बाद थाने में शिकायत किया गया था, स्वतः कहा कि मैं अंदाजे से बता रहा हूँ । यह कहना गलत है कि अभियुक्त किशन साहू के द्वारा ममता साहू के साथ कभी दहेज संबंधी कोई मांग नहीं की गयी है और न ही कभी ममता साहू के साथ लडाई–झगडा, मारपीट किया गया है । यह कहना गलत है कि ममता साहू एवं अभियुक्त किशन साहू के बीच विवाद का मुख्य कारण ममता साहू के द्वारा घर पर कामकाज नहीं करने एवं नौकरी करने हेतु बोले जाने के संबंध में रहा है, स्वतः कहा कि ममता साहू घर का पुरा कामकाज करती थी और अभियुक्त किशन साहू से विवाद का कारण बड़ी कार या नगद राशि की मांग थी । यह कहना गलत है कि अभियुक्त किशन साहू के द्वारा ममता साहू से बडी कार या नगद राशि की मांग किये जाने के संबंध में ममता साहू के द्वारा कभी कोई पंचायती बैठक आयोजित नहीं की गयी थी । ममता साहू के द्वारा बैठक आयोजित किये जाने की दिन, तिथि एवं माह मैं नहीं बता सकता हूं ।

यह कहना गलत है कि आज मैं ममता साहू के सिखाये अनुसार अभियुकत किशन साहू को झूठा फसाने के लिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ ।

साक्ष्य समाप्त समयः–01.30 बजे तक ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही/–
(सुनीति नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग)

सही/–
(सुनीति नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ (छ०ग)

साक्षी के हस्ताक्षर